



MADHYA PRADESH

एस/5209/99
02AA10548016

लम्बांक 2
पूर्वोत्तर नियम 7
मध्य प्रदेश जातन
गोनोन्हाम

8-1368/05
26-5-08

:- समिति का पंजीयन - प्रमाण - पत्र :-

ब्रह्मांक भोपाल होशगावाद नंबार 7407/99

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुष्मान सज्जेक्षण एन्ड सोशल सोसायटी समिति जो आयुष्मान हास्पीटल सीन्सेक्टर जाह्वुरा भोपाल ज़हरील हुजर ज़िला भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसाइटी रोजस्ट्रीकरण जिधिनियम 1973 सन 1973 का ब्रह्मांक 442 के अधीन 15.10.99 को पंजीयित की गई है।

दिनांक पंक्ति माह अक्टूबर सन 1999

इस्ता/-

इस सल तक सेनानी
समितियों के अस्ट्रेट्रिजिस्टर

-: सत्यप्रतिलिपि:-



TRUE COPY ATTESTED
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AP 263394

CANCELLED



भाषण पत्र लापन/ लिखान का प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न स्वामी भैरव संस्थान
का नाम १८५८८८ (१८५८८८) द्वे पव दे गई हैं।
पंजी. क्र. २०१ १८१८

संस्थान के हस्ताक्षर



असिस्टेंट नोटरी
फर्म एवं संस्थान
भोपाल नार्मदा पुराम संगम, भोपाल

23-1-2017

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA 12/12/2021
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

18/8/17

23-9-17

फर्म रिकार्ड्स ७८०
रजिस्ट्रेशन नं. १८१० (१९९९)
संशोधन दिनांक १५/१२/११

समिति की नियमावली (संशोधित नियमावली)

ग्रामीण समिति

1. समिति का नाम - इस समिति का नाम आयुष्मति एजूकेशन एण्ड सोशल सोसायटी होगा ।
2. कार्यालय - एस समिति का प्रधान कार्यालय 202, गंगा जगुना काम्पलेक्स, जोन - 1, एम.पी. नगर भोपाल तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) ।
3. कार्यक्षेत्र - इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा ।
4. उद्देश्य - इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
1. छात्र एवं छात्राओं को साईंस टेक्नॉलॉजी के रिसर्च के शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु आधुनिक एवं तकनीकि स्तर पर विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना ।
 2. उपरोक्त शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तकनीकि, इंजीनियरिंग, पोजीटेवनिक, मेडिकल, फार्मेसी, होटल ऐनेजमेंट, एम.बी.ए., एम.सी.ए., नर्सिंग, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पत्र-पत्रकारिता शिक्षा, दंत चिकित्सा, पैरामेडीकल, ऐरोनेटिक, फैशन डिजायनिंग, कोर्स बी.एड., डी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एवं विधि स्नातक एवं अन्य सभी प्रकार की उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, एवं चिकित्सा शिक्षा, संबंधी विषयों की शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर उनका संचालन एवं प्रबंधन करने के कार्य करना ।
 3. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थाओं के संचालन हेतु समुचित व्यवस्था करना ।
 5. सदस्यता :- इस समिति में निम्न श्रेणी के सदस्य होंगे :-
 (अ) संरक्षक सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 25,000/- रुपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा संरक्षक समिति का आजीवन सदस्य रहेगा ।
 (ब) आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 10,000/- रुपये या रुपये अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।



TRUE COPY ATTESTED

10/12/2021
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. २५०७
 रजिस्ट्रेशन दिनांक ११.१९९६
 संगोपन दिनांक १३.११.१८

(स) साधारण सदस्य :— जो व्यक्ति रुपये 50/- रुपये प्रतिमाह 600/- रुपये प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल इसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य :— संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति :— प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो समिति द्वारा निर्धारित फार्म पर लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन—पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे कि उस आवेदन—पत्र को किसी कारण से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

7. सदस्यों की योग्यताएँ :— समिति का सदस्य बनने के लिये व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :—

- आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- भारतीय नागरिक हो।
- समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
- सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. सदस्यता की समाप्ति :— समिति की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी :—

- मृत्यु हो जाने पर,
- पागल हो जाने पर,

3. समिति को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर
 4. त्यार पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर,

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
 ADVOCATE, NOTARY
 SEHORE (M.P.)



फर्म रजिस्ट्रेशन नं. १००
रजिस्ट्रेशन दिनांक १५/८/२०१७
संहारण दिनांक १५/८/२०१८

5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के नियम अनुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।
9. समिति के कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न घोरे दर्ज किए जाएंगे ।
- (अ) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।
यह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर ।
(ब) यह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।
(स) साधारण सभा :— साधारण सभा में नियम 5 में दर्शायें श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे जो साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगा । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगा । वे ०५ परा पोर्ट ३/५ सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से ३ माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि यह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारीयों का विधिवत चुनाव कराया जायेगा ।
 - (ब) प्रबंधकारिणी सभा :— प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से ७ दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी ।
 - (स) विशेष सभा :— यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने परस्कैलप की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से १४



TRUE COPY TESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं..... १०/५६
 रजिस्ट्रेशन दिनांक १५/५/०९
 संशोधन दिनांक १५/५/०९

लासे पंजीया

दिन के भीतर भेजा जावे। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश द्यारी करने तभी समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व. कर्तव्य :-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेरवा परिक्षकों की नियुक्ति करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (क्र) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।

प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहें,

नियम 5 (अ.ब.स) में दर्शाये गए सदस्यों जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

- | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----|------------|---|---|
| 1) | अध्यक्ष | - | 1 | 2) | उपाध्यक्ष | - | 1 |
| 3) | सचिव | - | 1 | 4) | कोषाध्यक्ष | - | 1 |
| 5) | संयुक्त सचिव | - | 1 | 6) | सदस्य | - | 2 |

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समिय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त छः माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा में करना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की पालन हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।



TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
 ADVOCATE, NOTARY
 SEHORE (M.P.)

समर्पित नं. १९१७/७७
 रजिस्ट्रेशन दिनांक १५/८/१५
 संशोधन दिनांक १६/८/१५

रामी राजिरदा

- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा गत्तै आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाए।
- (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
 संस्था द्वारा कोई भी रथावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना, विक्रय द्वारा अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जायेगी। किन्तु रामकृष्ण धर्मार्थ जलेंकल्याणकारी द्रस्त भोपाल से भी सहमति प्राप्त करना अनीवार्य होगी।
- विशेष बैठक में आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार :— अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव (मंत्री) द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णात्मक होगा।
16. उपाध्यक्ष के अधिकार :— अध्यक्षकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :—

- साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय — समय पर बुलाएँ और समस्त आवेदन पत्रों तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
- समिति का आय — व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन रौयार करके साधारण सभा के



TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
 ADVOCATE, NOTARY
 SEHORE (M.P.)

२०१०)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं.....
रजिस्ट्रेशन दिनांक .. १५/१०/२०१९
संशोधन दिनांक १०/१०/२०१९

रजिस्ट्रार

3. समिति के अनुसार सार कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरिक्षण करना या अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना । समस्त बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना ।
4. सचिव को एक समय में रुपये 500/- खर्च करने का अधिकार होगा ।
5. सचिव की अनुपरिधि में उनके कार्य संयुक्तसचिव करेगा ।
18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।
- * वेक्षक द्वारा संस्था की सार्वत निधि किसी बैंक गा. पोरट ऑफिस में भाग देंगी ; जहाँ वह आहुरण अध्यक्ष, मत्री, या कोषाध्यक्ष में से कोई भी दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 500/- रहेंगे ।
20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परिषित लेखा भेजी जावेगी ।
21. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।
22. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समन उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।
23. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।



TRUE COPY ATTESTED
Raveev Kumar Mishra
Advocate, Notary
Sehore (M.P.)

५०)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं.....
रजिस्ट्रेशन दिनांक १०/९/१७
संशोधन दिनांक १०/९/१७

रजिस्ट्रार

24. वैक खाता :— संस्था की समर्त निधि किसी वैक या पोरट आफिस में खोला जाएगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :— संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारण विषय निर्णय कर सकेगा।
26. विवाद :— संस्था में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुनिश्चित का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णयों से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की और विवाद को निर्णय के लिये भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समित के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

शुल्क जर्ये २८६ वाजान नं./३३८ च.
दिनांक १०/९/१७; नथ है। यह मूल
दस्तावेज़ है। इसका कोई अप्रूप
बारी होने की नियत नहीं।

साक्षात् के इसलाल

T. C.



१८
23.09.17
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म रजिस्ट्रेशन
पोपाल नर्मदा नदी भौम
२३.९.२०१७
TRUE COPY ATTESTED
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

प्ररूप सात

2 मार्च 2021

(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधिन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता : आयुष्मति एजुकेशन एवं सोशल सोसायटी, 202, गंगा जगुना कॉम्प्लेक्स, एम. पी. नगर, जोन-1, भोपाल
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : पंजीयन क्रमांक 7407 दिनांक 15.10.1999 *
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख 15/01/2021

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल तारीख 14.01.2020 से 13.01.2025 तक

अ.क्र.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्रीमति जनक कपूर पति स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर	165-9ए, साकेत नगर भोपाल	आध्यक्ष	समाजसेवा	
2.	श्री सिद्धार्थ कपूर पिता श्री डॉ. सुनील कपूर	ई-3/4 अरेश कालोनी भोपाल	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	
3.	डॉ. साधना कपूर पति डॉ. सुनील कपूर	ई-3/4 अरेश कालोनी भोपाल	सचिव	चिकित्सक	
4.	श्रीमति रुचि कपूर पति श्री सिद्धार्थ कपूर	202, गंगा जगुना कॉम्प्लेक्स, जोन-1, भोपाल	सह. सचिव 14/03/2020	समाजसेवा	
5.	श्री विमल नाथ पिता श्री स्व. के.वी. नाथ	165, पटेल नगर मंडीदीप, भोपाल	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा	
6.	डॉ. सुनील कपूर पिता स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर	ई-3/4 अरेश कालोनी भोपाल	सदस्य	चिकित्सक	
7.	श्रुति कुमारी पिता श्री डॉ. सुनील कपूर	ई-3/10 नुपुरकुंज अरेश कालोनी भोपाल	सदस्य	चिकित्सक	

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973

की धारा 29 के तहत प्राप्तिलिपि

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधिन 1040/- रु. की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक 15.02.2021 दिनांक 18/01/2021 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE NOTARY
SEHORE (M.P.)

-Rajeev
11.02.21
(एम.जे.कुरेशी)
असिंह बिहार
फॉर्म नं. 1000
नर्मदापुरम रोड ग.भोपाल (म.प्र.)

घोषणा



मैं श्रीमती जनक कपूर पत्नि स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर उपर्युक्त लगभग 85 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधिन दण्ड का दायी हो रहूँगा/रहुंगी।

भव्यादेश सौरायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
की धारा 38 के तहत जारीलिए

✓
अध्यक्ष/सचिव
उत्तराखण्ड
(श्रीमती जनक कपूर)

11.02.21
(एम.जे.कुरेशी)
असि.रजिस्ट्रेटर
फर्मा संख्या ५
निम्नलिखित वाक्यांगोंपात्र (प.प.)



TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सर्वोच्च न्याय

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BG 458768

प्रत्याकृति संख्या १०००५४६३८० मोड़ला न्यायिक, गोदाल
३८७ तिथिनाम् १५।०।१९७५ का नाम से दिनांक ११।०।७।
प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 को
धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत
दिनांक ११।०।२० को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
धारा 27 के तहत प्रस्तुत शारीरिक निकाय की सूची की वैधानिकता
के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी संघ उत्तरदायी है। कार्यालय
दबास धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है।
धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता
के संबंध में प्रमाण-पत्र आदेश नहीं है।

११।०।२१।२१
जी. रजिस्टर
फर्म पर संस्थाएँ



TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)